बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक – मु०अ० 4(मु०) 3054–04–248/2016 1222 (अनु०) पटना/दिनांक:– 18/4/2015

प्रेषक,

ई० प्रवीण कुमार ठाकुर
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–4
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय:– बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति,2018 के तहत वैसे पथों का डी०पी०आर० तैयार करना जिनके अनुरक्षण की अवधि बीते पाँच वर्षों से अधिक का समय बीत गया है या अनुरक्षण समाप्त होने के बाद जिन पथों की हालात अत्यन्त खराब है, के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक मु०अ०–4(मु०) 3054–4–03/12–088 दिनांक:– 08/03/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वर्तमान में ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार एवं रख–रखाव के निमित्त "बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018" लागू है।

अतः उल्लेखित नीति के प्रावधानों के तहत वैसे पथों का डी०पी०आर० समर्पित किया जाना है जिनके अनुरक्षण की अवधि बीते पाँच वर्षों से अधिक का समय बीत गया है या अनुरक्षण समाप्त होने के बाद जिन पथों की हालात अत्यन्त खराब है। सुलभ संदर्भ हेतु वैसे पथों की सूची संलग्न की जा रही है जिनके अनुरक्षण की अवधि बीते पाँच वर्षों से अधिक का समय बीत गया है। अनुरक्षण समाप्त होने के बाद जिन पथों की हालात अत्यन्त खराब है ऐसे पथों का डी०पी०आर० भी तैयार किया जाना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में डी०पी०आर० तैयार करने हेतु अपने स्तर से अनुश्रवण करते हुए यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन के पश्चात मुख्य अभियंता–4 कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,

P.T.O.

8986971-5388